तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/24	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् अपील पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पटवारी हल्का ने गोपी पुत्र मंगला के फौत होने पर उसके वारिसान में अपीलांट पांचू व पत्नि गोपाली को नामान्तरकरण में अंकित किये गये सजरा अनुसार तो भर दिया, लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलांट की मां गोपाली के पति का नाम कॉलम संख्या 9 में पांचू अंकित कर दिया, जबकि गोपाली के पति का नाम गोपी था। पांचू गोपाली का पुत्र है, पति नहीं है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने गोपाली को पांचू की पत्नि बताकर ये नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया और इस तथ्य पर ग्राम पंचायत सरपंच ने भी कोई गौर नहीं किया एवं अपीलांट की माता के पति का नाम गोपी के स्थान पर पांचू अंकित हो गया जबकि गोपाली के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गोपाली के मतदाता पहचान पत्र, गोपाली मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलांट के पिता का नाम पांचू ही अंकित है। साथ ही अपीलांट पांचू के खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में अपीलांट के पिता का नाम गोपी है। हमने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा गोपाली के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गोपाली के मतदाता पहचान पत्र, गोपाली मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाली के पति का नाम गोपी ही अंकित है। साथ ही अपीलांट पांचू के खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में अपीलांट के पिता का नाम गोपी है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट की माता गोपाली के पति का नाम गोपी है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 216 में पटवारी द्वारा अपीलांट की माता के पति का नाम पांचू गलत अंकित किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 27.06.2000 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि [illegible] गोपी के वारिसान के नाम की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.06.03 17:00:19 IST
Reason: Self Attested